भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3972

17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना

3972. श्री अनुराग शर्मा:
श्री अरुण गोविल:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झांसी और ललितपुर जैसे शहरों में सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के अंतर्गत ई-बसों के राज्य-वार आवंटन सहित पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) की भूमिका और योजना के अंतर्गत स्थापित भुगतान सुरक्षा ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत बसों की तैनाती और परिचालन के लिए निर्धारित समय-सीमा तथा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली परिचालन सहायता की अवधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा चूक के मामले में देय राशि की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ डायरेक्ट डेबिट मैंडेट तंत्र के संचालन की समीक्षा की है;

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पीएम-ईबस सेवा-पीएसएम योजना के अंतर्गत ई-बसों के आवंटन हेतु किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और यदि हाँ, तो स्वीकृत बसों की संख्या कितनी है तथा उनकी तैनाती की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख): पीएम ई-बस सेवा- पीएसएम स्कीम दिनांक 28.10.2024 को अधिसूचित की गई थी। इसके कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

i. स्कीम दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित कर दिए गए हैं।

ii. दिनांक 12.03.2026 तक, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) प्रस्तुत कर दिया है।

iii. दिनांक 28.02.2026 तक, अथवा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बस सेवा स्कीम के तहत 6,228 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा 4,720 बसों के लिए 'लेटर ऑफ़ अवार्ड' जारी कर दिया गया है।

iv. पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और 2,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया अभी चल रही है।

v. वित्त वर्ष 25-26 में पीएसएम कोष स्थापित करने के लिए, पहली किश्त के रूप में सीईएसएल को 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

झांसी और ललितपुर शहरों में, पीएम ई-बस सेवा स्कीम के तहत ई-बसों के आवंटन के लिए राज्य प्राधिकरण से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

आवंटित ई-बसों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

कन्वर्जन्स एनर्जी सर्विसेज़ लिमि. (सीईएसएल) इस स्कीम के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भुगतान सुरक्षा कोष का प्रबंधन करती है। सीईएसएल रियायत समझौतों (सीए) और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करती है। सीईएसएल निधि संवितरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार करने और सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ई-बस संचालन को एकीकृत करने के लिए भी उत्तरदायी है।

कन्वर्जन्स एनर्जी सर्विसेज़ लिमि. (सीईएसएल) रियायत समझौतों और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करती है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, सीईएसएल भुगतान सुरक्षा कोष से अनुमोदित राशि को ऑपरेटर के एस्क्रो खाते में संवितरित कर सकती है, और बाद में निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित राज्य/प्राधिकरण से लागू अधिभार सहित उस राशि की वसूली कर सकती है। यदि पीटीए 90 दिनों के भीतर संवितरित राशि को (विलंबित भुगतान अधिभार) एलपीएस सहित चुकाने में विफल रहता है, तो भारी उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) लागू करने का अनुरोध करेगा । आरबीआई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के खाते से राशि डेबिट करेगा और लागू एलपीएस सहित, उसे योजना कोष में जमा करेगा।

(ग): भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम, इस स्कीम के तहत तैनात प्रत्येक बस के लिए 12 वर्ष तक की अवधि के लिए भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है। आमतौर पर, बसों की तैनाती की समय-सीमा पीटीए और मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के बीच रियायत समझौतों (सीए) पर हस्ताक्षर होने की तारीख से दो (2) वर्ष मानी जाती है।

(घ) और (ङ): दिनांक 12.03.2026 तक, उन 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को डायरेक्ट डेबिट मेंडेट (डीडीएम) प्रस्तुत कर दिया है; जिन्होंने या तो भारी उद्योग मंत्रालय की 'पीएम ई-ड्राइव स्कीम' के तहत अथवा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बस सेवा स्कीम के तहत भाग लिया है। चूंकि बसें अभी तैनाती के चरण में हैं, इसलिए आज की तारीख तक पीटीए द्वारा भुगतान में किसी भी चूक की सूचना नहीं दी गई है, और पीएसएम स्कीम के तहत किसी भी दावे पर कार्रवाई नहीं की गई है।

(च): पीएम ई-बस सेवा- पीएसएम स्कीम के अंतर्गत, मेरठ/राज्य प्राधिकरण से बसों के आवंटन हेतु कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

*****

अनुलग्नक-1

क्र.सं.	राज्य	शहर	स्वीकृत बसें
1	गुजरात	सूरत	600
		अहमदाबाद	1,200
2	कर्णाटक	बेंगलुरु	4,500
3	महाराष्ट्र	मुंबई	1,500
		पुणे	1,000
4	तेलंगाना	हैदराबाद	2,200
5	दिल्ली	दिल्ली	2,800
क	**कुल (पीएम ई-ड्राइव)**		**13,800**
क्र.सं.	**राज्य**	**शहर**	**स्वीकृत बसें**
1	आंध्र प्रदेश	अमरावती	50
2		अनंतपुर	50
3		गुंटूर	100
4		कड़पा	50
5		काकीनाडा	50
6		कुरनूल	50
7		नेल्लोर	100
8		राजमुंदरी	50
9		तिरुपति	350
10		विजयवाड़ा	100
11		विशाखापत्तनम	100
12	गुजरात	भावनगर	100
13		गांधीधाम	50
14		नवसारी	50
15		गांधीनगर	100
16		जामनगर	50
17		जूनागढ़	50
18		राजकोट	100
19		वडोदरा	250
20	मध्य प्रदेश	भोपाल	195
21		इंदौर	270
22		जबलपुर	200
23		सागर	32
24		ग्वालियर	100
25		सतना	20

26		देवास	55
27		उज्जैन	100
28	महाराष्ट्र	अहिल्यानगर	40
29		अकोला	50
30		अमरावती	50
31		छत्रपति संभाजीनगर	100
32		भिवंडी	100
33		चंद्रपुर	50
34		धुले	28
35		इचलकरंजी	25
36		जलगांव	50
37		कल्याण डोंबिवली	100
38		कोल्हापुर	100
39		लातूर	50
40		मीरा भाईंदर	100
41		नागपुर	150
42		नासिक	100
43		सांगली	50
44		सोलापुर	100
45		ठाणे	100
46		उल्हासनगर	100
47		वसई विरार सिटी	100
48		मालेगांव	26
49		परभणी	40
50	मेघालय	शिलांग	55
51	ओडिशा	संबलपुर	50
52		बरहामपुर	50
53		भुवनेश्वर	100
54		राउरकेला	100
55		कटक	100
56	पुदुचेरी	पुडुचेरी	75
57		अजमेर	100
58		अलवर	100

59	राजस्थान	भीलवाड़ा	50
60		बीकानेर	125
61		जयपुर	450
62		जोधपुर	125
63		कोटा	100
64		उदयपुर	50
65		सीकर	50
66	उत्तराखंड	देहरादून	100
67		हरिद्वार	37
68	असम	गुवाहाटी	100
69	चंडीगढ़	चंडीगढ़	428
70	हरियाणा	गुरूग्राम	100
71		फरीदाबाद	100
72		हिसार	50
73		करनाल	50
74		पानीपत	50
75		रोहतक	50
76		यमुनानगर	50
77	बिहार	भागलपुर	50
78		दरभंगा	50
79		गया	50
80		मुज़फ़्फ़रपुर	50
81		पटना	150
82		पूर्णिया	50
83	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	50
84	गोवा	पणजी	50
85	हिमाचल प्रदेश	शिमला	25
86		धर्मशाला	25
87	छत्तीसगढ़	दुर्ग	50
88		रायपुर	100
89		कोरबा	40
90		बिलासपुर	50
91		बेलगागावी	100
92		बेल्लारी	50
93		दावनगेरे	50

94	कर्णाटक	धारवाड़	100
95		कलबुर्गी	100
96		मंगलुरु	100
97		मैसूर	100
98		शिमोगा	50
99		तुमकुरु	50
100		विजयपुरा	50
101	पंजाब	अमृतसर	100
102		लुधियाना	100
103		पटियाला	50
104		जालंधर	97
105		साहिबजादा अजीत सिंह नगर	100
106	केरल	केरल	293
107	तेलंगाना	निजामाबाद	51
108		वारंगल	100
109	मणिपुर	इंफाल	50
110	अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार	45
111	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	100
112		जम्मू	100
113	लद्दाख	लद्दाख	48
114	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	50
ख	**कुल (पीएम-ई बस सेवा)**		**10,000**
ग	**स्कीम की कुल बसें (क+ख)**		**23,800**